

थोक औषधियों और चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए PLI योजनाएं खबरों में क्यों हैं?

- हाल में रसायन और खाद मंत्रालय ने थोक औषधियों और चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन योजनाओं में संशोधन किया है।



संशोधित दिशा-निर्देशों के बारे में और ज्यादा

- संशोधित दिशा-निर्देशों में, न्यूनतम सीमा निवेश जरूरत को प्रतिबद्ध निवेश से विस्थापित कर दिया गया है जिसके लिए तकनीकी विकल्पों की उपलब्धता को ध्यान में रखा गया है जोकि उत्पाद से उत्पाद में बदलती हैं।
- यह परिवर्तन उत्पादकता पूंजी के सक्षम प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए किया गया है।

अर्हता मानदंड में परिवर्तन

- न्यूनतम बिक्री सीमा के अर्हता मानदंड में परिवर्तन किया गया है जोकि अनुमानित मांग, तकनीक की प्रवृत्ति और बाजार विकास के अनुसार है जिससे योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन को हासिल किया जा सके।

कार्यकाल

- इस योजना का कार्यकाल एक वर्ष वित्त वर्ष 2021-22 में चुने हुए आवेदकों के द्वारा किये जाने वाले संभावित पूंजी खर्च को ध्यान में रखते हुए बढ़ा दिया गया है।
- इसी के अनुसार, प्रोत्साहन को प्राप्त करने के उद्देश्य से बिक्री का हिसाब 5 वर्ष के लिए लिया जाएगा जोकि वित्त वर्ष 2021-2022 के स्थान पर वित्त वर्ष 2022-2023 से आरंभ होगा।
- PLI योजनाओं को कैबिनेट ने 20 मार्च, 2020 को स्वीकृति दी थी, और योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देशों को 27 जुलाई, 2020 को फार्मास्युटिकल्स विभाग द्वारा जारी किया गया था।
- पूर्व में फार्मास्युटिकल्स विभाग दो उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं को लेकर आ चुकी है:
 - भारत में महत्वपूर्ण प्रमुख शुरुआती पदार्थों के घरेलू विनिर्माण, औषधि मध्यवर्ती और सक्रिय फार्मास्युटिकल घटकों के प्रोत्साहन के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना।
 - चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना
- कैबिनेट की स्वीकृति के बाद, योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश इस वर्ष फार्मास्युटिकल्स विभाग द्वारा जुलाई में जारी किये गए थे।

नोट:

- वैश्विक रूप से, भारतीय औषधि उद्योग मात्रा के संदर्भ में तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है और भारत की आर्थिक वृद्धि और निर्यात प्राप्तियों में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र- III- स्वास्थ्य क्षेत्र

स्रोत- PIB

केंद्र ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रदूषण से निपटने के लिए आयोग की स्थापना की

खबरों में क्यों है?

- केंद्र ने हाल में एक स्थाई निकाय- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और जुड़े हुए क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए एक आयोग की स्थापना की है। इसके लिए 22 वर्ष पुराने पर्यावरणीय प्रदूषण (बचाव एवं नियंत्रण) प्राधिकरण को भंग कर दिया गया है जो अबतक दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटता था।
- सर्वशक्तिमान निकाय के कार्यक्षेत्र में दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश शामिल हैं जिसके पास राज्यों के मध्य समन्वय के लिए काफी शक्तियां हैं। जैसे वह वायु प्रदूषण से निपटने के लिए रु. 1 करोड़ का अर्थदंड अथवा पांच वर्ष तक का कारावास देने का अधिकारी है।



आयोग के बारे में

- आयोग के प्रभावी होने के पूर्व इसे सर्वोच्च न्यायालय के औपचारिक अवलोकन की प्रतीक्षा है।

सदस्य

- पैनल में कम से कम छह स्थाई सदस्य शामिल होंगे और इसका मुखिया केंद्र सरकार का पूर्व या वर्तमान सचिव, अथवा राज्य सरकार का मुख्य सचिव होगा।
- इसके मंत्रालय से सदस्य होंगे, साथ-साथ राज्यों से प्रतिनिधि भी होंगे।

उन्हें कहां से शक्ति मिलती है?

- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और उसकी राज्य शाखाओं को वायु, जल और भूमि प्रदूषण के लिए पर्यावरण (संरक्षण) कानून के प्रावधानों के क्रियान्वयन का अधिकार है।
- विवाद के मामले में या न्यायाधिकार पर विवाद होने पर, आयोग का प्रादेश लागू होगा, विशेष रूप से वायु प्रदूषण से संबंधित मामलों में।

नियमों का प्रवर्तन

- आयोग को कड़े क्रियान्वयन के लिए विशेष जांच समूहों के गठन का अधिकार दिया जाएगा, लेकिन अध्यादेश के पत्र में ऐसा कोई विवरण नहीं है।
- EPCA के पास भी लगभग समान शक्तियां लेकिन वायु को स्वच्छ रखने में बुरी तरह से असफल रहा है जबकि यह पिछले 20 वर्षों से ज्यादा से शक्ति में है।

संबंधित सूचना

पर्यावरण प्रदूषण (बचाव एवं नियंत्रण) प्राधिकरण

- इसका गठन पर्यावरण (संरक्षण) कानून, 1986 के प्रावधानों के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पर्यावरण के संरक्षण और उसकी गुणवत्ता को सुधारने के उद्देश्य से और पर्यावरणीय प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने के लिए की गई थी।
- EPCA के पास प्रदूषण स्तरों के अनुसार शहर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) को लागू करने का भी शासनादेश है।

- EPCA क्यों प्राधिकरण है, और केवल एक परामर्शदात्री समिति ही क्यों नहीं है, ऐसे इसलिए है क्योंकि इसके पास केंद्र के समान शक्तियाँ हैं।

शक्तियाँ

- EPCA को स्वप्रेरणा से साथ ही किसी व्यक्ति, प्रतिनिधि निकाय अथवा पर्यावरणीय मामले के क्षेत्र में कार्य कर रहे संगठन द्वारा की गई शिकायत के आधार पर कार्यवाही करने का अधिकार है।
- EPCA की सबसे महत्वपूर्ण शक्तियाँ में से एक शिकायतों के द्वारा मामले का निपटारा करना है।

पुनर्गठन

- EPCA के पुराने कार्यकाल के 2018 में पूरे होने पर इसका 20 सदस्यों के साथ पुनर्गठन किया गया था।
- इसके सदस्यों में टाटा ऊर्जा शोध संस्थान (TERI) के महानिदेशक; ऊर्जा, पर्यावरण और जल केंद्र के मुख्य कार्यकारी अधिकारी; AIIMS के सर्जरी के पूर्व प्रोफेसर शामिल हैं।

वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार द्वारा लिये गये प्रमुख उपाय

ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान

- इस कार्ययोजना की स्वीकृति सर्वोच्च न्यायालय ने 2016 में दी थी और दिल्ली व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के लिए इसे 2017 में अधिसूचित किया गया था।
- इस योजना को राज्य सरकार के प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों के साथ पर्यावरण प्रदूषण (बचाव एवं नियंत्रण) प्राधिकरण (EPCA) की कई बैठकों के बाद तैयार किया गया था।
- GRAP में वे उपाय शामिल हैं जिन्हें विभिन्न सरकारी एजेंसियां दिल्ली-NCR में वायु गुणवत्ता के खराब होने से रोकेंगी और PM10 और PM2.5 स्तरों को मध्यम राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) श्रेणी के बाहर जाने से रोकेंगी।
- यदि वायु गुणवत्ता गंभीर+ चरण तक पहुँच जाती है, GRAP के अंतर्गत प्रतियुत्तर में चरम उपाय जैसे विद्यालयों को बंद करना और ऑड-ईवन रोड स्पेस राशनिंग योजना शामिल हैं।
- यह योजना दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रों) में 13 विभिन्न एजेंसियों के मध्य कार्यवाही और समन्वय की अपेक्षा करता है।

टर्बो हैप्पी सीडर


- किसानों को टर्बो हैप्पी सीडर (THS) खरीदने के लिए सब्सिडी दी जा रही है, यह एक मशीन है जिसे ट्रैक्टर पर चढ़ाया जाता है जो चारे को काटती है जिससे चारे को जलाने को कम किया जा सके।

BS-VI को लागू करना

- BS-VI वाहनों के आने से इलेक्ट्रिक वाहनों का रास्ता प्रशस्त हुआ है, ऑड-ईवन आपातकालीन उपाय लागू हुआ है और पूर्वी और पश्चिमी पेरीफेरल एक्सप्रेसवे के निर्माण से वाहनों का प्रदूषण कम हुआ है।

राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक का विकास

- यह केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराता है।
- वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) का विकास आठ प्रदूषकों के लिए किया गया है अर्थात् PM2.5, PM10, अमोनिया, लेड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, सल्फर डाईऑक्साइड, ओजोन और कार्बन मोनोऑक्साइड।



विषय- सामान्य अध्ययन III- पर्यावरण

स्रोत- द हिंदू

ग्रीन दिल्ली एप

खबरों में क्यों है?

- हाल में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ग्रीन देहली नामक एप की शुरुआत की है जो नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करेगा और प्रदूषण के खिलाफ सरकारी लड़ाई में समय पर कार्यवाही को सुनिश्चित करेगा।



ग्रीन दिल्ली एप के बारे में

- यह एप नागरिकों को शिकायत दर्ज कराने, प्रदूषण स्रोतों और प्रतिप्रदूषण नियमों के उल्लंघन को रिपोर्ट करने में सक्षम बनाता है।
- नागरिक प्रदूषण के स्थानीय कारणों जैसे कचरे को जलाने, औद्योगिक प्रदूषण और अन्य के अतिरिक्त निर्माण धूल की फोटो, वीडियो और ऑडियो ले सकते हैं और एप में अपलोड कर सकते हैं।

शिकायतों की निगरानी करने के लिए ग्रीन मार्शल को तैनात किया गया है।

Gradeup UPSC Exams
Super Subscription
(UPSC CSE & UPSC EPFO)

Access to All
Structured Courses
& Test Series

ENROL NOW

विभिन्न विभाग का समन्वय

- लगभग 21 विभाग जिसमें नागरिक निकाय, DDA, DJB, दिल्ली पुलिस, DSIDC, दिल्ली सरकार के विभाग शामिल हैं, को एप से जोड़ा गया है और प्रत्येक विभाग का वरिष्ठ अधिकारी के अतिरिक्त एक नोडल अधिकारी भी है जो कि विभाग से संबंधित सभी दर्ज शिकायतों को देखेगा।

विशेषीकृत समयसीमा

- सभी शिकायतों का निस्तारण समयसीमा के आधार पर किया जाएगा, विशेष रूप से 48 घंटे की विशेषीकृत समयसीमा पर।
- यदि शिकायतों का निस्तारण 48 घंटे के अंदर नहीं होता है, वे विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समन्वय करेंगे और शिकायतों के निस्तारण के लिए कार्य करेंगे।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- पर्यावरण

स्रोत- द हिंदू

SERB- POWER (अन्वेषी शोध में महिलाओं के लिए अवसरों का प्रोत्साहन)

खबरों में क्यों है?

- केंद्रीय मंत्री विज्ञान एवं तकनीक, पृथ्वी विज्ञान और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने योजना जिसका शीर्षक "SERB-POWER (अन्वेषी शोध में महिलाओं के लिए अवसरों का प्रोत्साहन)" है, की शुरुआत की है। इसे पूरी तरह से महिला वैज्ञानिकों के लिए डिजाइन किया गया है।



SERB-POWER योजना के बारे में

योजना में दो घटक होंगे जिनके नाम हैं-

- SERB-POWER फेलोशिप
- SERB-POWER शोध अनुदान

इनमें से प्रत्येक की खास बातें निम्न हैं:

SERB-POWER फेलोशिप की खास बातें-

- लक्ष्य: 35-55 आयुवर्ग की महिला शोधार्थी। प्रतिवर्ष 25 तक फेलोशिप और किसी समयकाल में 75 से ज्यादा नहीं।
- समर्थन के घटक: प्रति महीने रु. 15,000 की फेलोशिप, यह नियमित आय के अतिरिक्त है; प्रतिवर्ष रु. 10 लाख का शोध अनुदान और प्रतिवर्ष रु. 90,000 का ओवरहेड।
- अवधि: तीन वर्ष बिना विस्तार की संभावना के। कैरियर में एक बार।

B. SERB की खास विशेषताएं- POWER शोध अनुदान:

- POWER अनुदान निम्नलिखित दो श्रेणियों के अंतर्गत महिला शोधार्थियों को वित्त पोषित करके सशक्त करेगी:
 - लेवल I (आईआईटी, आईआईएसईआर, आईआईएस, एनआईटी, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और केंद्रीय सरकार के संस्थानों की केंद्रीय प्रयोगशालाएं से आवेदक)
 - वित्त पोषण का स्केल तीन वर्षों के लिए 60 लाख तक है।
- POWER अनुदान **संदर्भ की शर्तों के द्वारा विनियमित** किये जाएंगे जोकि **SERB-CRG** (विज्ञान एवं इंजीनियरिंग शोध बोर्ड-मूल शोध अनुदान) दिशा-निर्देशों के अनुसार होगी।
- यह **25 POWER फेलोशिपों** को वार्षिक रूप से स्थापित करेगी।
- लेवल I और लेवल II में प्रतिवर्ष कुल प्रत्येक 50 POWER अनुदानों को जारी किया जाएगा।

महत्व

- सरकार की यह योजनाएं निश्चित रूप से महिला वैज्ञानिकों को सशक्त करेगी और हमारे अकादमिक और शोध संस्थानों में महिला हितैषी संस्कृति का पोषण करेगी एवं निर्णय लेने वाले निकायों में महिलाओं के नेतृत्व ग्रहण करने को सुनिश्चित करेगी।

संबंधित सूचना

विज्ञान एवं तकनीक (FIST) कार्यक्रम में सुधार के लिए कोष

- हाल में, विज्ञान एवं तकनीक विभाग ने विज्ञान एवं तकनीक (FIST) कार्यक्रम के सुधार के लिए कोष की पुनर्संरचना के लिए आह्वान किया है।

विज्ञान एवं तकनीक (FIST) कार्यक्रम में सुधार के लिए कोष के बारे में

- विश्वविद्यालयों और उच्च शैक्षिक संस्थानों में अवसंरचना के लिए FIST कार्यक्रम का उद्देश्य स्टार्टअप्स और उद्योगों के उच्च-अंत जरूरतों को पूरा करना है और सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान से सुमेलित करना है।
- FIST कार्यक्रम को अब FIST 2.0 के रूप में पुनः आविष्कारित किया जाएगा जिससे यह आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की ओर उन्मुख हो सके। इसका उद्देश्य शोध और विकास अवसंरचना का सृजन करना है।
- यह विश्वविद्यालयों और उच्च शैक्षिक संस्थानों में शोध और शिक्षण के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के नेटवर्क के उन्नयन का समर्थन करता है।
- FIST 2.0 FIST, सोफेस्टिकेटेड एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट फैसिलिटीज (SAIF), और सोफेस्टिकेटेड एनानिटिकल एंड टेक्नीकल हेल्प इंस्टीट्यूट्स (SATHI) जैसे कार्यक्रमों से भी जुड़ेगा, जो सभी विभाग, विश्वविद्यालय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान एवं तकनीक अवसंरचना केंद्रों की स्थापना करने के बनाए गये हैं।


विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- महिला सशक्तिकरण और शिक्षा

स्रोत- दि हिंदू

इथेनॉल मिलाने का पेट्रोल कार्यक्रम

खबर में क्यों है?

- आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने आने वाले शर्करा सत्र 2020-21 के लिए इथेनॉल मिले पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न गन्ना आधारित कच्चे माल से प्राप्त उच्च इथेनॉल मूल्य को निर्धारित करने को स्वीकृति दे दी है।



इथेनॉल मिला पेट्रोल कार्यक्रम के बारे में

- इसकी शुरुआत जनवरी 2003 में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस (MoP&NG) मंत्रालय ने की थी।
- यह कार्यक्रम अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप केंद्र शासित क्षेत्रों को छोड़कर पूरे देश में 1 अप्रैल, 2019 से विस्तारित कर दिया गया है।
- इसका उद्देश्य मोटर स्पिरिट के साथ इथेनॉल को मिलाना है जिससे प्रदूषण घट सके, विदेशी मुद्रा बच सके और शर्करा उद्योग में मूल्य वर्धन हो सके जिससे वे किसानों के पुराने गन्ना दामों को निपटा सकें।
- इसका उद्देश्य ऊर्जा जरूरतों के लिए आयात निर्भरता को घटाना है और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना है।
- इथेनॉल को राज्य द्वारा संचालित तेल विपणन कंपनियां केंद्र के इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त करती हैं और ऊंचे दामों से शर्करा उद्योग गन्ना किसानों को भुगतान करने में सक्षम होता है।

Aiming for an eco boost
Oil industry experts have allayed fears over mixing ethanol with petrol and say it cannot damage engines

- Ethanol is a bio-fuel obtained primarily from sugarcane. Blending of ethanol with petrol reduces dependence on fossil fuel and helps the environment
- The government had set a target of 10% of ethanol per litre of petrol
- Ethanol is blended through a separate pumping and metering mechanism
- Once blended, ethanol cannot be separated from petrol

Since ethanol can absorb moisture from the atmosphere, dealers say it can cause issues with vehicle engines

- EBP कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त इथेनॉल निम्नलिखित से प्राप्त किया जाता है-
 - 1) गन्ना रस/ शर्करा/ शर्करा सिरप
 - 2) B हैवी मोलेजेस

- 3) C हैवी मोलेजेस
- 4) क्षतिग्रस्त खाद्यान्न/अन्य स्रोत

नोट:


- सरकार का 2022 तक इथेनॉल के साथ पेट्रोल मिश्रित करने का लक्ष्य 10% और 2030 तक लक्ष्य 20% का है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- पर्यावरण
स्रोत- दि हिंदू

वैज्ञानिकों ने नोवेल कोरोनावायरस प्रतिकृति तंत्र के 3डी आणविक नक्शे का निर्माण किया

खबर में क्यों है?

- हाल में पहली बार, वैज्ञानिकों ने एक 3डी नक्शे को तैयार किया है जिसने कोरोनावायरस SARS-CoV-2 किण्वक के अणुओं में प्रत्येक परमाणु की स्थिति को अनावृत किया है, जिसे मुख्य प्रोटीज भी कहा जाता है जो अपनी प्रतिकृति को उस समय हासिल करता है जब वह मानव कोशिका को संक्रमित करता है।



SARS-CoV-2 किण्वक के बारे में

- SARS-CoV-2 किण्वक प्रोटीनों की लंबी ऋंखला को व्यक्त करती है।
- जब ये ऋंखलाएं टूटती हैं और छोटे हिस्सों में बंट जाती हैं तो इससे वायरस में पुनर्जनन की क्षमता पैदा होती है।
- इस कार्य को मुख्य प्रोटीज द्वारा किया जाता है।
- इसकी संरचना दो समान प्रोटीन अणुओं की बनी होती है जोकि हाइड्रोजन बंधों से बंधे होते हैं।
- यदि ऐसी औषधि विकसित कर ली जाए जो प्रोटीज गतिविधि को रोके, यह वायरस को प्रतिकृति बनाने से रोकेगी और शरीर में अन्य कोशिकाओं में फैलने से रोकेगी।
- शोधार्थियों ने एक तकनीक जिसे न्यूट्रॉन क्रिस्टलोग्राफी कहा जाता है, का प्रयोग किया।
- अमीनो अम्ल वाले स्थल जहां प्रोटीन ऋंखलाएं कट जाती हैं, इन परीक्षणों ने दर्शाया कि यह एक विद्युतीय आवेशित प्रतिक्रियात्मक अवस्था होती है- यह विश्राम अथवा अक्रिय अवस्था नहीं है, यह पूर्व की धारणाओं के विपरीत है।

शोध का महत्व

- यह पहली बार है कि किसी ने कोरोनावायरस प्रोटीन के न्यूट्रॉन संरचना को प्राप्त किया है।

- शोधार्थियों का कहना है कि यह भी पहली बार है कि न्यूट्रॉन का प्रयोग करके किसी ने प्रोटीज किण्वक के वर्ग को देखा है।
- इसके अतिरिक्त, यह तथ्य कि प्रोटीन ऋंखलाएं ऐसे स्थल पर काटी जाती हैं जोकि विद्युतीय आवेशित प्रतिक्रियात्मक अवस्था में हैं, ना कि अक्रिय अवस्था में, यह एक आश्चर्यजनक खोज थी।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- विज्ञान एवं तकनीक

स्रोत- द हिंदू

इंटरनेट के लिए सुरक्षित अनुप्रयोग (SAI)

खबर में क्यों है?

- हाल में, भारतीय सेना ने एक मैसेजिंग एप जिसे SAI (इंटरनेट के लिए सुरक्षित अनुप्रयोग) कहते हैं, की शुरुआत की है जोकि इसके सैनिकों को सुरक्षित व्हाट्सएप, टेक्स्ट और वीडियो कॉलिंग सेवाओं को उपलब्ध कराएगा।



इंटरनेट के सुरक्षित अनुप्रयोग के बारे में

- यह व्यावसायिक रूप से उपलब्ध मैसेजिंग अनुप्रयोगों जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, संवाद और जिम्स की भांति ही है।
- यह एंड-टू-एंड इंक्रिप्शन मैसेजिंग प्रोटोकॉल का उपयोग करता है।
- SAI स्थानीय इन हाउस सर्वरों और कोडिंग के साथ सुरक्षित विशेषताओं के मामले में अद्वल है जिन्हें जरूरतों के अनुसार बदला जा सकता है।
- SAI का उपयोग पूरी सेना में सेवा के अंदर सुरक्षित मैसेजिंग को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा।
- यह अनुप्रयोग सूचीकृत परीक्षक और सेना साइबर समूह के CERT-in द्वारा जांचा गया है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- शासन

स्रोत- PIB

जम्मू-कश्मीर सरकार ने रोशनी कानून के तहत कार्यवाहियों को शून्य घोषित किया

खबर में क्यों है?

- जम्मू और कश्मीर सरकार ने जम्मू और कश्मीर राज्य भूमि (काबिजदारों को स्वामित्व प्रदान करना) कानून, 2001 अथवा 'रोशनी कानून' के तहत की गई कार्यवाहियों को शून्य घोषित कर दिया।

इस कार्य के पीछे का कारण

- यह कानून जिसे तत्कालीन उपराज्यपाल सत्यपाल मलिक ने 2018 में समाप्त कर दिया था, को कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहित करने और ऊर्जा परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न करने के उद्देश्य से क्रियान्वित किया गया था।

- हालांकि सरकार ने कहा कि यह कानून वांछित उद्देश्यों को हासिल करने में नाकामयाब रहा और इसके कुछ प्रावधानों के दुरुपयोग की भी खबरें हैं जिसका कारण भ्रष्टाचार के आरोप और जिस उद्देश्य से इसे लागू किया गया था, उसके लाभों को हासिल करने में नाकामयाबी का होना है।

रोशनी कानून क्या है?

- भूमि आधारित कानून, जिसे लोकप्रिय रूप में रोशनी कानून कहा जाता था, को 2001 में फारूख अब्दुल्ला सरकार ने लागू किया था।
- इस कानून का उद्देश्य कब्जेदारों को सार्वजनिक भूमि के स्वामित्व अधिकार प्रदान करना था।
- रिपोर्ट के अनुसार, 15.85 प्रतिशत कब्जे वाली भूमि को स्वामित्व अधिकारों के लिए हस्तांतरित करने के लिए स्वीकृति दी गई थी।
- यह कानून कब्जेदारों को 20.55 केनाल भूमि (1,2,50 हेक्टेयर) के लगभग मालिकाना हक देने के उद्देश्य से था।
- इसके अतिरिक्त, विधायकों को यह आशा थी कि यह कानून ऊर्जा परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए संसाधनों को उत्पन्न करेगा।
- किसान जोकि राज्य की भूमि पर कब्जेदार थे, को भी कृषीय प्रयोग के लिए स्वामित्व अधिकार दिये गए थे।
- आरंभिक रूप से यह कानून 1990 को कट ऑफ तिथि के रूप में मानता है जब राज्य की भूमि पर अतिक्रमण किया गया, इसी के आधार पर स्वामित्व दिया जाता था।
- बाद की सरकारों ने मुफ्ती मोहम्मद सईद और गुलाम नबी आजाद के अंतर्गत पहले 2004 तक समयसीमा में छूट दी और बाद में 2007 तक इसे कर दिया।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-I- शासन

स्रोत- PIB

पाकिस्तान ने गिलगित-बाल्तिस्तान को प्रांतीय दर्जा प्रदान किया

खबर में क्यों है?

- हाल में, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने गिलगित बाल्तिस्तान को प्रांतीय दर्जा प्रदान कर दिया।
- यह कदम उस समय उठाया गया जब सऊदी अरब ने अपने देश के नक्शे से गिलगित-बाल्तिस्तान को पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र से हटा दिया।
- यह पाकिस्तान का पांचवां प्रांत बन जाएगा।
- वर्तमान में, पाकिस्तान में चार प्रांत हैं-बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवां, पंजाब और सिंध।

भारत की प्रतिक्रिया

- भारत ने स्पष्ट रूप से पाकिस्तान को बता दिया है कि जम्मू व कश्मीर और लद्दाख की संपूर्ण केंद्र शासित क्षेत्र, जिसमें तथाकथित गिलगित बाल्तिस्तान का क्षेत्र भी शामिल है, भारत के अविभाज्य हिस्से हैं क्योंकि 1947 में भारत में जम्मू और कश्मीर का कानूनी, संपूर्ण और न समाप्त होने वाला विलय हुआ था।
- गिलगित बाल्तिस्तान को सीमित स्वायत्ता मिली हुई है जिसे 2009 के गिलगित बाल्तिस्तान सशक्तिकरण और स्वशासन आदेश के द्वारा शासित किया जाता है।
- यह चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का भी हिस्सा है।



संबंधित सूचना

चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा

- यह चीन के महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनीशिएटिव (BRI) की फ्लैगशिप परियोजना है।
- पाकिस्तान और चीन के बीच में द्विपक्षीय परियोजना का उद्देश्य राजमार्गों, रेलवे और पाइपलाइनों के साथ संपूर्ण पाकिस्तान में कनेक्टिविटी को प्रोत्साहन देना है। इसमें ऊर्जा, औद्योगिक और अन्य अवसंरचना विकास परियोजनाएं भी शामिल हैं।
- यह उत्तरी पाकिस्तान में खुनजेराब दर्रे के द्वारा बलूचिस्तान, पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह तक चीन (जिनजियांग) के पश्चिमी हिस्से को जोड़ेगा।
- भारत ने CPEC को लेकर चीन से अपना विरोध जताया था क्योंकि यह पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के द्वारा होकर जा रहा है।



गिलगित बाल्तिस्तान के बारे में

- वर्तमान में कश्मीर क्षेत्र के पाकिस्तानी प्रशासित क्षेत्र का हिस्सा है, जो उत्तरी भारतीय महाद्वीप में स्थित है।

- यह काराकोरम ऋखला में एक संकरी घाटी में गिलगित नदी पर स्थित है जो हुंजा नदी के साथ संगम बनाती है और सिंधु नदी के साथ इसका संगम आगे बढ़ने पर है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- अंतरराष्ट्रीय संबंध

स्रोत- PIB

ग्रामीण विकास कोष

खबर में क्यों है?

- केंद्रीय सरकार का फैसला कि पंजाब से ग्रामीण विकास शुल्क को रोक दिया जाए और यह पत्र देकर पंजाब सरकार से पूछना कि अपने ग्रामीण विकास कोष (RDF) के उपयोग का विवरण दें जो इसे मुख्य रूप से भारतीय खाद्य निगम (FCI) से प्राप्त होता है, ने राज्य सरकार को काफी कुपित कर दिया है।



ग्रामीण विकास कोष के बारे में

- यह 3 प्रतिशत कर है जिसे ग्रामीण विकास कोष कानून, 1987 के तहत कृषीय उत्पादों की बिक्री या खरीद पर लगाया जाता है जिसे पंजाब ग्रामीण विकास बोर्ड (PRDB) द्वारा क्रियान्वित किया जाता है, जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है।

ग्रामीण विकास बोर्ड (RDB) क्या है?

- RDB को अप्रैल 1987 में ग्रामीण विकास कानून, 1987 के तहत शामिल किया गया था और इसे बेहतर कृषि के प्रोत्साहन और कृषीय उत्पादों के नुकसान और क्षति के लिए राहत प्रदान करने का शासनादेश है।
- यह ग्रामीण क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइटों, धर्मशालाओं, पंचायतघरों, नहरों और नालों, सरकारी स्वास्थ्य अवसंरचना, पीने के पानी, स्वच्छता और सरकारी शैक्षिक संस्थानों की सुविधा को उपलब्ध कराता है।
- यह माना जाता है कि इस कोष का प्रयोग मंडियों के अंदर और बाहर ग्रामीण अवसंरचना के सृजन और रखरखाव के लिए किया जाएगा।
- पूर्व में ऐसे आरोप लगते रहे हैं कि इस कोष को अन्य उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जाता रहा है।

केंद्रीय सरकार ने इस कोष को क्यों निलंबित कर दिया?

- केंद्र सरकार ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण के केंद्रीय मंत्री के हवाले से जारी किये गए एक पत्र से यह आरोप लगाया कि कोष को दूसरे कार्यों में प्रयोग किया जा रहा है और राज्य सरकार से यह विवरण देने के लिए कहा कि इस धन का कैसे उपयोग किया जा रहा है।
- इसने लागत शीट में भी इस कोष के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है जिसे उसने राज्य को भेजा है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- शासन

स्रोत- PIB

थोक औषधि पार्क

खबर में क्यों है?

- हाल में हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो थोक औषधि पार्क के आवंटन के लिए प्रतियोगिता कर रहा है जोकि एक केंद्र सरकार की योजना है जिसकी घोषणा इस वर्ष की शुरुआत में पूरे देश में तीन ऐसे पार्कों की स्थापना के लिए की गई थी।



थोक औषधियां अथवा APIs क्या हैं?

- थोक औषधि जिसे सक्रिय फार्मास्युटिकल्स घटक (APIs) भी कहा जाता है, किसी औषधि या दवाई का प्रमुख घटक होता है, जिससे इसका वांछित चिकित्सकीय प्रभाव अथवा औषधीय गतिविधि उत्पन्न होती है।
- उदाहरण के लिए, पैरासिटामोल एक थोक औषधि है, जोकि दर्दनिवारक है।
- इसे बंधन एजेंटों अथवा विलायकों के साथ मिश्रित किया जाता है जिससे अंतिम फार्मास्युटिकल्स उत्पाद को तैयार किया जा सके अर्थात एक पैरासिटामोल टिकिया, कैप्सूल अथवा सिरप, जिसे रोगी द्वारा खाया जाता है।

क्या प्रमुख शुरुआती पदार्थ और औषधि मध्यवर्ती हैं?

- APIs को बहु प्रतिक्रियाओं से तैयार किया जाता है जिसमें रासायनिक और विलायक शामिल होते हैं।
- प्राथमिक रसायन अथवा मूल कच्चा माल जो प्रतिक्रिया से गुजर कर API का निर्माण करता है, को प्रमुख शुरुआती पदार्थ अथवा KSM कहते हैं।
- रासायनिक यौगिक जो मध्यवर्ती अवस्थाओं में निर्मित होते हैं, इन प्रतिक्रियाओं के दौरान, को औषधि मध्यवर्ती अथवा Dis कहा जाता है।

थोक औषधि पार्कों के प्रोत्साहन के लिए जिम्मेदार कारक

- भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी फार्मास्युटिकल्स उद्योगों में से एक है (आयतन के हिसाब से तीसरी सबसे बड़ी) लेकिन यह उद्योग काफी हद तक अन्य देशों पर निर्भर करता है, विशेष रूप से चीन पर, क्योंकि वहां से APIs, Dis और KSMs आयात किये जाते हैं।
- इस वर्ष, भारत में औषधि निर्माणकर्ताओं ने आयत में बाधा की वजह से काफी परेशानियों का सामना किया है।
- जनवरी में, चीन में फैक्ट्रियां बंद हो गई जब देश में लॉकडाउन लगाया गया और बाद में अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति ऋंखला प्रभावित हो गई जब कोविड महामारी ने पूरी दुनिया को आगोश में ले लिया।
- भारत और चीन के बीच में सीमा तनाव से स्थिति और भी बुरी हो गई।
- इन सभी कारकों की वजह से भारत सरकार ने सभी उद्योगों में ज्यादा आत्मनिर्भरता का आह्वान किया और जून में, फार्मास्युटिकल्स विभाग ने देश में तीन थोक औषधि पार्कों के प्रोत्साहन की योजना की घोषणा की।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- स्वास्थ्य

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

ऑपरेशन मुस्कान

खबर में क्यों है?

- हाल में, कुल 485 बच्चे, जिनमें बाल श्रमिक, परित्यक्त और भागे हुए बच्चे शामिल थे, को दो दिन के ऑपरेशन मुस्कान के दौरान शहर और जिले की पुलिस ने छुड़ाया।

ऑपरेशन मुस्कान के बारे में

- यह गृह मंत्रालय (MHA) की एक पहल है।

उद्देश्य

- इसका उद्देश्य खो गये बच्चों को छुड़ाना/पुनर्वास करना है।
- यह एक महीने का समर्पित कार्यक्रम है जहां खो गये बच्चों को खोजने और छुड़ाने और उनको उनके परिवार से मिलाने के लिए राज्य पुलिस कर्मियों द्वारा कई गतिविधियां संचालित की जा रही हैं।

पृष्ठभूमि

- “ऑपरेशन मुस्कान III” की शुरुआत जुलाई 2017 में पूरे देश में की गई थी जिसका उद्देश्य खोये हुए बच्चों को छुड़ाने/पुनर्वास के लिए पूर्व के अभियानों को आगे बढ़ाना था।

“ऑपरेशन मुस्कान” के उद्देश्य हैं:

- खोये हुए बच्चों को छुड़ाना और पुनर्वास करना।
- राज्य में बाल संरक्षण गतिविधियों के साथ गतिविधियों का एकीकरण करना।
- जिला स्तर के SJPU का क्षमता निर्माण जिससे खोये हुए बच्चों के मामले से निपटा जा सके; और
- सामाजिक कल्याण विभाग के कार्यकर्ताओं, CWCs, SJPUs, NGOs और जिला स्तर पर समुदाय संगठनों के साथ ज्यादा समन्वय विकसित करना। यह पूरे देश में एकीकृत बाल संरक्षण योजना के तहत चलाया जा रहा है।


विषय- सामान्य अध्ययन-प्रश्नपत्र- II- शासन

स्रोत- द हिंदू

रणनीतिक नीति एवं प्रोत्साहन ब्यूरो (SPFB)

खबर में क्यों है?

- आयुष मंत्रालय और इन्वेस्ट इंडिया आपस में सहयोग करके एक रणनीतिक नीति इकाई जिसे “रणनीतिक नीति एवं प्रोत्साहन ब्यूरो (SPFB)” कहा जाता है, का गठन करेंगे जिसे आयुष क्षेत्र की नियोजित और सुव्यवस्थित वृद्धि को प्रोत्साहन दिया जा सके।



रणनीतिक नीति एवं प्रोत्साहन ब्यूरो (SPFB) के बारे में उद्देश्य

- आयुष क्षेत्र के नियोजित एवं सुव्यवस्थित वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए आयुष मंत्रालय (आयुर्वेद, योग और नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी) का रणनीतिक नीति इकाई स्थापित करने की योजना है जिससे यह अपने पूरी संभावना को हासिल कर सके और वृद्धि व निवेश को प्रेरित कर सके।

SPFB द्वारा की जाने वाली गतिविधियों में शामिल होंगे:

- ज्ञान का सृजन और प्रबंधन,
- रणनीतिक और नीति निर्माता समर्थन,
- राज्य नीति बेंचमार्किंग: राज्य नीति बेंचमार्किंग को करना भारत में आयुष क्षेत्र के संबंध में एकसमान दिशा-निर्देशों/विनियमन को बनाया जा सके,
- निवेश प्रोत्साहन: अनुपालन और निवेश मामलों को प्रोत्साहन और सहमतिपत्र, और विभिन्न विभागों, संगठनों और राज्यों के मध्य समन्वय।
- मामले हल करना: इन्वेस्ट इंडिया कंपनियों और अन्य संस्थानों के साथ कार्य करके मामलों को पूरे राज्यों में और विभिन्न उप-क्षेत्रों के मध्य हल करेगा।

आयुष मंत्रालय की भूमिका

- आयुष मंत्रालय ब्यूरो को निवेश प्रस्ताव, मामलों और प्रश्नों के प्रतियुत्तर देने में सहायता देगा और दी गई गतिविधियों को पूरा करने के लिए इन्वेस्ट इंडिया को वित्त पोषित करेगा।
- मंत्रालय ब्यूरो को विभिन्न हितधारकों जैसे उद्योग संघों, मंत्रालय से संबद्ध निकायों और उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ जुड़ने में सहायता प्रदान करेगा।

इन्वेस्ट इंडिया के बारे में

- इसकी स्थापना 2009 में उद्योग और आंतरिक वाणिज्य के प्रोत्साहन के लिए विभाग, वाणिज्य मंत्रालय और उद्योग के अंतर्गत एक गैर लाभकारी उपक्रम के रूप में हुआ था।
- यह भारत की राष्ट्रीय निवेश प्रोत्साहन और सुविधा एजेंसी है और भारत में निवेशकों के लिए संदर्भ के प्रथम बिंदु के रूप में कार्य करती है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- स्वास्थ्य

स्रोत- PIB

नए वेतन संहिता ने यौन उत्पीड़न के मामले का सामना कर रहे लोगों को बोनस देने से रोका

खबर में क्यों है?

- वर्तमान में सरकार उन लोगों के लिए एक नया वेतन संहिता का निर्माण कर रही है जो किसी भी रूप में यौन उत्पीड़न के मामले में शामिल हैं, वे अपने नियोक्ताओं से बोनस पाने में असफल रह सकते हैं।
- नई वेतन संहिता के उस समय प्रचलित होने की संभावना है जब सरकार नियमों को अधिसूचित कर देगी।



नए वेतन संहिता में यौन उत्पीड़न के खिलाफ प्रावधान

- संहिता कहती है कि कोई कर्मचारी बोनस पाने के अयोग्य हो जाएगा यदि वह संगठन के परिसर में बेईमानी अथवा दंगा करने वाले अथवा हिंसक व्यवहार के लिए, अथवा चोरी, अनियमितता अथवा संगठन की किसी संपत्ति की तोड़फोड़ अथवा यौन उत्पीड़न के लिए नौकरी से निकाल दिया जाता है।

वर्तमान में कानून की क्या स्थिति है?

- वर्तमान कानून कहता है कि केवल वे कारण जिनके आधार पर बोनस को रोका जा सकता है, वे हैं- बेईमानी, हिंसक व्यवहार, चोरी, अनियमितता अथवा तोड़फोड़ करना।

महत्व

- यह कानून कर्मचारियों को अपने आचरण के बारे में ज्यादा सावधान बना देगा और 2013 के यौन उत्पीड़न रोकथाम कानून (PoSH) के अलावा एक अतिरिक्त निवारक के रूप में कार्य करेगा।

संबंधित सूचना

वेतन की संहिता, 2019 के बारे में

- इसने वेतन, बोनस और संबंधित मामलों से संबंधित चार श्रम कानूनों को संशोधित और मजबूत किया है जिसमें शामिल हैं:
 - वेतन भुगतान का कानून, 1936
 - न्यूनतम वेतन कानून, 1948
 - बोनस का भुगतान कानून, 1965 और
 - समान वेतन कानून, 1976
- यह वेतन, समान वेतन, इसके समय से भुगतान और बोनस से संबंधित सभी जरूरी तत्वों को उपलब्ध कराता है।
- न्यूनतम वेतन में शामिल हैं वेतन की मूल दर, जीवन भत्ते की लागत और छूटों का नकदी मूल्य इत्यादि। और यह कौशलों, कार्य दुरुहता, भौगोलिक स्थिति और अन्य पहलुओं पर इसे निर्धारित करने के लिए विचार करता है।
- केंद्र और राज्य सरकारें अपने क्षेत्रों में न्यूनतम वेतन को निर्धारित करेंगी।
- समय पर भुगतान और प्राधिकृत कटौतियों (रु. 24,000 प्रतिमाह पाने वाले कर्मचारियों के लिए अभी तक लागू) से संबंधित प्रावधान बिना वेतन सीमा के सभी कर्मचारियों पर लागू होंगे, जिसमें सरकारी संस्थान भी शामिल हैं।
- राष्ट्रीय फ्लोर स्तर का न्यूनतम वेतन केंद्र द्वारा निर्धारित किया जाएगा और प्रत्येक पांच वर्षों में इसमें संशोधन किया जाएगा, जबकि राज्य अपने क्षेत्रों के लिए न्यूनतम वेतन निर्धारित करेंगे, जोकि फ्लोर वेतन से नीचे नहीं हो सकते हैं।

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण), 2013 के बारे में

- यह पीड़ित महिला की परिभाषा का और भी विस्तार करता है जिससे इसमें सभी महिलाएं, बिना आयु और नियोजन दर्जे के लिहाज से शामिल हो सकें, और यह ग्राहकों और घरेलू कामगारों को भी शामिल करता है।
- यह कार्यस्थल का विस्तार पारंपरिक कार्यालयों के आगे करता है जिसे सभी क्षेत्रों में सभी प्रकार के संगठन शामिल हो सकें, यहां तक कि गैर परंपरागत कार्यस्थल (उदाहरण के लिए दूरसंचारण में शामिल लोग) और स्थान जहां कार्य के लिए कर्मचारी आते हैं।
- यह आंतरिक शिकायत समिति (ICC) के गठन का आदेश देता है जहां 10 से ज्यादा कामगार हों- और यदि ICC का गठन नहीं हुआ है तो कार्यवाही को निर्धारित करता है- साथ ही यह शिकायतों की संख्या की लेखा रिपोर्ट और वर्ष के अंत में क्या कार्यवाही की गई इसकी रिपोर्ट सौंपने की बात कहता है।
- यदि किसी मामले में कामगारों की संख्या 10 से कम है तो, यह आदेश देता है कि स्थानीय शिकायत समिति का गठन किया जाए।
- यह नियोक्ताओं के कर्तव्यों की सूचीकरण की बात कहता है, जैसे नियमित कार्यशालाओं का आयोजन करना और जागरूकता कार्यक्रम जिससे कानून के बारे में कर्मचारियों को शिक्षित किया जा सके।
- यदि नियोक्ता ICC के गठन में असफल रहता है अथवा किसी अन्य प्रावधान को नहीं मानता है तो उसे रु. 50,000 का अर्थदंड का भुगतान करना होगा।
- यदि उल्लंघन करने वाला बार-बार उल्लंघन कर रहा है तो अर्थदंड दुगुना हो जाएगा।
- दूसरे उल्लंघन की स्थिति में उसका या तो कैंसिल हो सकता है या फिर उसका पुनर्नवीनीकरण नहीं होगा।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- महिला सशक्तिकरण

स्रोत- द हिंदू

मिशन सागर-II

खबर में क्यों है?

- हाल में भारतीय नौसैनिक जहाज (INS) ऐरावत मिशन सागर-II के रूप में 100 टन खाद्य सहायता के साथ पोर्ट सूडान में दाखिल हुआ।



मिशन सागर-II के बारे में

- यह प्रथम 'मिशन सागर' का अनुपालन करता है जो मई-जून 2020 में हुआ था, जिसके द्वारा भारत मालदीव, सेशेल्स, मैडगास्कर और कोमोरोस पहुंचा था और खाद्य सहायता और दवाईयां उपलब्ध कराई थीं।

- मिशन सागर-II के अंतर्गत, भारतीय नौसैनिक जहाज ऐरावत सूडान, दक्षिण सूडान, जिबूती और इरीट्रिया को खाद्य सहायता प्रदान करेगा।
- मिशन सागर-II प्रधानमंत्री के स्वप्न क्षेत्र में सबके लिए सुरक्षा और वृद्धि 'SAGAR' के आधार पर ही है और भारत द्वारा अपने समुद्रीय पड़ोसियों के साथ अपने संबंधों को दिये गये महत्व को उजागर करता है एवं वर्तमान संबंधों को और भी मजबूत करता है।

संबंधित सूचना

मिशन सागर (Security and Growth for All in the Region)

- यह एक शब्द है जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने 2015 में अपनी मॉरीशस यात्रा के दौरान गढ़ा था जिसका मुख्य जोर नीली अर्थव्यवस्था पर था।
- यह एक समुद्री पहल है जोकि हिंद महासागर क्षेत्र को प्राथमिकता देती है जिससे भारत में हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धता को सुनिश्चित किया जा सके।
- इसका लक्ष्य विश्वास और पारदर्शिता के वातावरण को हासिल करना, अंतरराष्ट्रीय समुद्री नियमों के लिए सम्मान और सभी देशों के लिए कानून; एक दूसरे के हितों के लिए संवेदनशीलता; समुद्री मामलों का शांतिपूर्ण हल; और समुद्री सहयोग में वृद्धि करना है।
- यह इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के सिद्धांतों के अनुसार ही है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-I- अंतरराष्ट्रीय संगठन

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

मालाबार नौसैनिक अभ्यास का 24वां संस्करण

खबर में क्यों है?

- मालाबार नौसैनिक अभ्यास का 24वां संस्करण नवंबर 2020 में दो चरणों में होना निर्धारित है।
- मालाबार 20 अभ्यास के चरण 1 में भारतीय नौसेना (IN), संयुक्त राज्य नौसेना (USN), जापान समुद्री स्व रक्षा बल (JMSDF) और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना (RAN) की भागीदारी होगी। यह बंगाल की खाड़ी में विशाखापट्टनम के पास होगी।
- मालाबार 20 का चरण 2 मध्य नवंबर 2020 में अरब सागर में आयोजित किया जाना निर्धारित है।



संबंधित सूचना

मालाबार नौसेना अभ्यास के बारे में

- यह त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास है जिसे भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेनाओं के बीच में आयोजित किया जाना है।
- समुद्री अभ्यासों की मालाबार श्रृंखला की शुरुआत 1992 में द्विपक्षीय IN-USN अभ्यास के रूप में हुई थी।

- यह बाद में स्थाई रूप से त्रिपक्षीय प्रारूप में विस्तारित हो गई जब जापान 2015 में इसमें शामिल हुआ।
- भारत और जापान के रक्षा बल JIMEX, SHINYUU Maitri और Dharma Guardian जैसे द्विपक्षीय अभ्यासों की श्रृंखला का आयोजन करते हैं।
- भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका युद्ध अभ्यास नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन करते हैं।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-III- रक्षा

स्रोत- PIB

क्षुद्रग्रह 16 साइकी

खबर में क्यों है?

- हाल में एक अध्ययन में पाया गया कि क्षुद्रग्रह 16 साइकी, जोकि मंगल और बृहस्पति के मध्य चक्कर लगाता है, पूरी तरह से धातुओं का बना हो सकता है और इसकी अनुमानित कीमत \$10,000 क्वैड्रिलियन हो सकती है- जोकि धरती की पूरी अर्थव्यवस्था से ज्यादा है।
- क्षुद्रग्रह की सटीक संरचना और उत्पत्ति को 2022 में ही जाना जा सकेगा जबकि NASA पास से इसका अध्ययन करने के लिए मानवरहित अंतरिक्षयान को इस पर भेजेगा।



क्षुद्रग्रह 16 साइकी क्या है?

- यह पृथ्वी से लगभग 370 मिलियन किमी. दूर स्थित है।
- यह हमारे सौरमंडल में क्षुद्रग्रह पट्टिका में सबसे विशाल वस्तु है।
- इसकी खोज सबसे पहले इतालवी खगोलविद् अन्नीबेल दि गेसपेरिस द्वारा मार्च 17, 1853 को की गई थी और इसका नामकरण आत्मा, साइकी की प्राचीन ग्रीक देवी के नाम पर किया गया था।
- अधिकांश क्षुद्रग्रह के विपरीत जोकि चट्टानों अथवा बर्फ के बने होते हैं, वैज्ञानिकों का विश्वास है कि साइकी एक घना और अधिकांशतः धात्विक वस्तु है जिसे माना जाता है कि पूर्व ग्रह का क्रोड है जिसका निर्माण असफल रहा था।

क्या वास्तव में क्षुद्रग्रह \$10,000 क्वैड्रिलियन मूल्य का है?

- NASA के वैज्ञानिकों का विश्वास है कि क्षुद्रग्रह पूरी तरह से आयरन, निकिल और कई अन्य विरल पदार्थों जैसे स्वर्ण, प्लैटिनम, कोबाल्ट, इरीडियम और रेहेनियम से निर्मित है।
- कल्पना के रूप में, यदि इसे पृथ्वी पर लाया जाए तो, NASA मिशन के मुख्य वैज्ञानिक लिंडी इल्किंस टैन्टन ने गणना की है कि केवल आइरन ही \$10,000 क्वैड्रिलियन मूल्य का होगा।

नासा के साइकी मिशन के बारे में

- NASA की साइकी को अध्ययन करने के लिए फ्लोरिडा के केप केनेवरल एयर फोर्स स्टेशन से स्पेस एक्स फाल्कन हैवी रॉकेट को प्रक्षेपित करने की योजना है।
- मानवरहित अंतरिक्षयान क्षुद्रग्रह जनवरी 2026 में पहुँचेगा।

- अभियान का पहला उद्देश्य धात्विक क्षुद्रग्रह के चित्रों को पाना है, इसके बाद अंतरिक्षयान इसका अध्ययन और नक्शांकन दूरी से करेगा।
- अभियान का अन्य उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि क्या वास्तव में यह क्षुद्रग्रह किसी पूर्व ग्रह का क्रोड है अथवा यह गैर गले हुए पदार्थ से बना हुआ है।
- अभियान को पूर्व में 2023 में प्रक्षेपित करने की योजना थी लेकिन बाद में इसे 2022 में प्रक्षेपित करने की योजना बनाई गई।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र- III- विज्ञान एवं तकनीक

स्रोत- द हिंदू

कोरोनावायरस में D614G उत्परिवर्तन

खबर में क्यों है?


- एक अध्ययन के अनुसार, एक विशेष उत्परिवर्तन जिसे D614G कहते हैं, वैश्विक कोविड-19 महामारी में एक प्रमुख रूपांतर बन गया है।

उत्परिवर्तन क्या है?

- उत्परिवर्तन एक प्रक्रिया है जब वायरस किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है तो वह अपनी अनुकृतियों को बनाने की कोशिश करता है और इस अनुकृति बनाने की प्रक्रिया में गलती करता है।

THE MUTATION THAT LOOSENS THE SPIKE PROTEIN

Spike proteins on SARS-CoV-2 bind to receptors on human cells, helping the virus to enter. A spike protein is made up of three smaller peptides in 'open' or 'closed' orientations; when more are open, it's easier for the protein to bind. The D614G mutation — the result of a single-letter change to the viral RNA code — seems to relax connections between peptides. This makes open conformations more likely and might increase the chance of infection.



D614G उत्परिवर्तन के बारे में

- D614G उत्परिवर्तन के अंतर्गत, वायरस ने एस्पार्टिक अम्ल (D) को विस्थापित कर दिया। यह ग्लिसरीन (G) के साथ अमीनो अम्ल की 614वीं स्थिति में हुआ।
- वायरस के उत्परिवर्तित रूप को सबसे पहले चीन में पहचाना गया था और बाद में यूरोप में।
- D614G उत्परिवर्तन वायरस के स्पाइक प्रोटीन में स्थित है।
- यह प्रोटीन की उप-इकाई S1 में उपस्थित है और उप-इकाई S2 के पास है।
- D614 उत्परिवर्तन जोकि वायरस के क्लेड A2 के लिए महत्वपूर्ण उत्परिवर्तन है, भारत में मौजूद है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-III- विज्ञान एवं तकनीक

स्रोत- द हिंदू


जल जोखिम फिल्टर विश्लेषण रिपोर्ट 2020

खबर में क्यों है?

- हाल में विश्व वन्यजीव कोष (WWF) ने जल जोखिम फिल्टर विश्लेषण रिपोर्ट 2020 को जारी किया है।

जल जोखिम फिल्टर के बारे में

- यह एक ऑनलाइन उपकरण है जिसे WWF ने सह-विकसित किया है जो जोखिम वाले स्थानों की तीव्रता के मूल्यांकन में सहायता करता है। इसके लिए यह ग्राफिक रूप से विभिन्न कारकों को दर्शाता है जो जल जोखिम में अपना योगदान देते हैं।



रिपोर्ट की मुख्य बातें

- WWF जल जोखिम फिल्टर में परिदृश्यों के अनुसार, वे 100 शहर जिनमें 2050 तक सबसे ज्यादा जल जोखिम से परेशानी होने की संभावना है, में कम से कम 350 मिलियन लोग निवास करते हैं। साथ ही वे राष्ट्रीय और वैश्विक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाएं भी हैं।
- वैश्विक तौर पर, उच्च जल जोखिम वाले क्षेत्रों में जनसंख्याएं 2020 के 17% से बढ़कर 2050 तक 51% हो सकती हैं।
- वैश्विक सूची में शामिल हैं बीजिंग, जकार्ता, जोहानेसबर्ग, इस्तांबुल, हांगकांग, मक्का और रियो डि जेनेरियो जैसे शहर। इसमें चीन के लगभग आधे शहर शामिल हैं।

भारत और रिपोर्ट

- रिपोर्ट के अनुसार, भारत के 30 शहर सूची में हैं।
- जयपुर भारतीय शहरों की सूची में सबसे ऊपर है (45वां) जिसके बाद इंदौर (75वां) और थाणे का स्थान है।
- मुंबई, कोलकाता और दिल्ली भी सूची में हैं।

कारण

- यह ऐसे हो रहा है क्योंकि पूरे भारत में शहर जल की कमी से जूझ रहे हैं जिसका कारण तीव्र शहरीकरण, मौसम परिवर्तन और उपयुक्त अवसंरचना का अभाव है जोकि वर्तमान अवसंरचना पर लगातार दबाव डाल रहा है।

जल संकट से निपटने के लिए संस्तुतियां

- बहु हितधारक के साथ बातचीत और स्वामित्व जिसमें स्थानीय समुदाय भी शामिल हों, सतत जल अवसंरचना के सृजन और संरक्षण और शहरी ताजाजल प्रणालियों के पुनर्जीवन में महत्वपूर्ण हैं।
- शहरी नियोजन और नमभूमि संरक्षण को एकीकृत करने की जरूरत है जिससे शहरी क्षेत्रों में ताजा जल प्रणालियों में शून्य क्षति को सुनिश्चित किया जा सके।
- शहरी जल अवसंरचना में सुधार और जल उपयोग में कटौती से जल जोखिम को कम करने में मदद मिलेगी।
- प्रकृति आधारित हल जिसमें निम्नीकृत जल विभाजक का पुनर्स्थापन, नदियों को उनके बाढ़ मैदानों के साथ फिर से जोड़ना और शहरी नमभूमियों को पुनर्जीवित अथवा निर्मित करना शामिल हैं, काफी जरूरी हैं।

संबंधित सूचना

विश्व वन्यजीव कोष के बारे में

- यह अंतरराष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1961 में की गई थी जिससे अपनी धरती के प्राकृतिक पर्यावरण को निम्नीकृत होने से रोका जाए और एक ऐसे भविष्य का निर्माण किया जाए जिसमें मानव प्रकृति के साथ तालमेल के साथ रहें।
- इसका मुख्यालय ग्लैड, स्विट्जरलैंड में है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-III- पर्यावरण

स्रोत- द हिंदू

UNESCO ने पन्ना को "जैवमंडल रिजर्वों के विश्व नेटवर्क" में शामिल किया

खबर में क्यों है?

- UNESCO के मानव और जैवमंडल (MAB) कार्यक्रम ने हाल में पन्ना जैवमंडल रिजर्व को UNESCO के जैवमंडल रिजर्वों के विश्व नेटवर्क में शामिल कर लिया।

पन्ना जैवमंडल रिजर्व के बारे में

- यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है।
- यह भारत से 12वां जैवमंडल रिजर्व है जिसे 'जैवमंडल रिजर्व के विश्व नेटवर्क' में शामिल किया जा रहा है, और पंचमढ़ी और अमरकंटक के बाद मध्य प्रदेश से यह तीसरा है।
- यह एक महत्वपूर्ण बाघ आवास क्षेत्र है और पन्ना बाघ रिजर्व यहीं पर है, साथ ही खजुराहो समूह के स्मारकों का विश्व विरासत स्थल भी यह है।



MAB कार्यक्रम के बारे में

- यह एक अंतरसरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है जिसे UNESCO ने 1971 में शुरू किया था।
- इसका उद्देश्य लोगों और उनके पर्यावरण के मध्य संबंध के उन्नयन का एक वैज्ञानिक आधार स्थापित करना है।
- यह प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों को संयुक्त करता है जिसका मंतव्य मानव जीवनयापन में सुधार लाना और प्राकृतिक और प्रबंधित पारिस्थितिकी प्रणालियों को सुरक्षित रखना है, जिससे आर्थिक विकास के नवाचार वाले दृष्टिकोणों को प्रोत्साहन दिया जा सके जोकि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त और पर्यावरणीय रूप से सततीय हैं।
- कार्यक्रम के अंतर्गत, UNESCO ने जैवमंडल रिजर्वों के विश्व नेटवर्क (WNBR) को स्थापित किया है।
- जैवमंडल रिजर्व का नामांकन राष्ट्रीय सरकारों द्वारा किया जाता है।
- यदि इसका चुनाव UNESCO द्वारा किया जाता है तो उन्हें WNBR में शामिल किया जाता है।
- जैवमंडल रिजर्वों के विश्व नेटवर्क पूरी दुनिया में 124 देशों के 701 स्थल शामिल हैं, जिसमें 21 अंतरसीमा स्थल भी शामिल हैं।

भारत और MAB

- भारत के कुल 12 जैवमंडल रिजर्व हैं जिन्हें मानव एवं जैवमंडल (MAB) रिजर्व कार्यक्रम के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय रूप में मान्यता दी गई है।

वे हैं:

- नीलगिरि (सबसे पहला शामिल होने वाला)
- मन्नार की खाड़ी
- सुंदरबन
- नंदा देवी नॉरकेक
- पंचमढी
- सिमलीपाल
- अचानकमार-अमरकंटक
- ग्रेट निकोबार
- अगस्त्यमाला
- खांगचेंदजोंगा (2018)
- पन्ना (2020)

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- पर्यावरण

स्रोत- द हिंदू

छत्तीसगढ़ ने फोर्टीफाइड चावल के वितरण के लिए योजना शुरू की

खबर में क्यों है?

- छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने पाइलट आधार पर राज्य के कोंडागांव जिले के लोगों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) और अन्य कल्याणकारी पहलों के द्वारा फोर्टीफाइड चावल के वितरण के लिए योजना की शुरुआत की है।

WHAT IS FORTIFIED RICE?

Fortification is the practice of deliberately increasing the content of an essential micronutrient, i.e. vitamins and minerals (including trace elements) in food to improve its nutritional quality and provide a public health benefit with minimal risk to health



► The fortification factor does not last for more than 45 days, so it isn't advisable to store fortified rice for long

► According to National Family Health Survey, 78.7% children and 75% in the district are anaemic and suffer from malnutrition

► In the first phase, fortified rice will be distributed in Badangi, Bobbili, Ramabhadrapuram and Terlam mandals

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत चावल के फोर्टीफिकेशन और वितरण के बारे में

- खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने "सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा चावल के फोर्टीफिकेशन और उसके वितरण पर केंद्रीय प्रायोजित पाइलट योजना" को स्वीकृति दी है।
- योजना को फरवरी 2019 में स्वीकृति दे दी गई थी और 2019-20 से तीन वर्षों के काल के लिए ₹. 174.6 करोड़ का कुल बजट आवंटन आवंटित किया गया था।

वित्तीय मदद

- योजना का वित्त पोषण भारत सरकार द्वारा उत्तर-पूर्वी, पर्वतीय और द्वीपीय राज्यों के सापेक्ष 90:10 के अनुपात में और अन्य राज्यों के सापेक्ष 75:25 के अनुपात में किया जा रहा है।
- आगे, सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों को यह सुझाव दिया है विशेष रूप से उन राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों को जो आटे को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा वितरित कर रहे हैं, कि वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा फोर्टीफाइड गेहूँ आटे का वितरण करें।
- पाइलट योजना 15 जिलों पर जोर देती है, प्राथमिकता से प्रति राज्य 1 जिला।
- अभी तक, 15 राज्यों, अर्थात्, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, असम, तमिलनाडु, तेलंगाना, पंजाब, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश ने पाइलट योजना के क्रियान्वयन पर अपनी सहमति जताई है।
- इन राज्यों में से, महाराष्ट्र और गुजरात ने फरवरी 2020 से पाइलट योजना में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत फोर्टीफाइड चावल के वितरण को अभी से शुरू कर दिया है।

क्रियान्वयन में सुस्ती

- 15 जिलों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा फोर्टीफाइड चावल के वितरण की वर्तमान पाइलट योजना अभी तक केवल पांच राज्यों में ही क्रियान्वित की गई है, यद्यपि परियोजना की आधी से ज्यादा अवधि बीत चुकी है।
- ये पांच राज्य हैं आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ हैं।

- बाकी बचे 10 राज्यों में अब जाकर अपने जिलों की पहचान की है और जल्दी ही वितरण की शुरुआत कर देंगे, लेकिन योजना काल में 1.5 वर्ष का ही समय शेष रह गया है।

संबंधित सूचना

भारत में फोर्टीफिकेशन

- फोर्टीफिकेशन से आशय किसी जरूरी सूक्ष्मपोषक तत्व के अंश के बढ़ाने की प्रक्रिया से है जैसे कि विटामिन अथवा खनिज। यह किसी खाद्य पदार्थ में किया जाता है जिससे उसकी पोषक मूल्य में वृद्धि हो सके और कम से कम लागत में लोगों को स्वास्थ्य लाभ उपलब्ध हो सके।
- चावल पांचवीं खाद्य वस्तु है जिसको सरकार फोर्टीफिकेशन के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसके पूर्व नमक, खाने वाले तेल, दूध और गेहूँ को भी फोर्टीफाई किया जा चुका है।
- खाद्य फोर्टीफिकेशन एक वैज्ञानिक रूप से सिद्ध, किफायती, मापनीय और सतत वैश्विक हस्तक्षेप है जिससे सूक्ष्मपोषक तत्वों की कमी के मामलों से निपटा जा सकता है।
- अक्टूबर 2016 में, FSSAI ने बुनियादी खाद्य पदार्थों के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक (भोजन का फोर्टीफिकेशन) विनियमन, 2016 को लागू किया जिनके नाम हैं:
 - दूध और खाने वाले तेल (विटामिन A और D के साथ)
 - दुग्धुना फोर्टीफाइड नमक (आयोडीन और आयरन के साथ)
 - गेहूँ का आटा और चावल (आयरन, विटामिन बी12 और फोलिक अम्ल के साथ)
- विश्व स्वास्थ्य संगठन आयरन, विटामिन और फोलिक अम्ल के साथ चावल के फोर्टीफिकेशन की संस्तुति करता है जोकि एक सार्वजनिक स्वास्थ्य रणनीति है जिससे जनसंख्याओं के आयरन स्तरों में सुधार किया जा सके।

चावल को कैसे फोर्टीफाइड किया जाता है?

- चावल को चावल में सूक्ष्मपोषक तत्व के चूर्ण को मिलाकर फोर्टीफाई किया जा सकता है जिसमें साधारण चावल के दानों पर विटामिन और खनिज मिश्रण के साथ छिड़काव किया जाता है जो एक सुरक्षात्मक स्तर बना देता है।
- चावल को निकाल कर और आकार में लाकर बिना पके दाने जैसी संरचनाओं से मिलते जुलते चावल के दानों में बदला जा सकता है, जिसे बाद में प्राकृतिक रूप से पॉलिश किये हुए चावल के साथ मिलाया जा सकता है।
- चावल के गूदे को कई सूक्ष्मपोषकों जैसे आयरन, फोलिक अम्ल और अन्य बी कॉम्प्लेक्स विटामिन, विटामिन ए और जिंक के साथ फोर्टीफाई किया जा सकता है।

खाद्य फोर्टीफिकेशन संसाधन केंद्र (FFRC) के बारे में

- FFRC की स्थापना भारत सरकार के विभाग के रूप में की गई है जो खाद्य का विनियमन करता है अर्थात FSSAI, टाटा न्यास के साथ सहयोग में।
- FFRC समर्पित रूप से प्रासंगिक सरकारी मंत्रालयों, खाद्य व्यावसायों, विकास साझेदारों इत्यादि जैसे हितधारकों को आवश्यक समर्थन प्रदान करता है, जिससे पूरे देश में खाद्य फोर्टीफिकेशन प्रयासों को प्रोत्साहन और समर्थन मिलता है।

नोट:

- भारत वैश्विक भुखमरी सूचकांक (GHI) में 107 देशों में 94वें स्थान पर है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र- III- स्वास्थ्य मामले

स्रोत- द हिंदू

iGOT ई-शिक्षण प्लेटफॉर्म

खबर में क्यों है?

- स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अनूठे रूप से डिजाइन किये गये एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण- iGOT प्लेटफॉर्म कोविड-19 लड़ाकों को स्वचालित प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध कराता है जिसमें 56 मॉड्यूल, 196 वीडियो और 133 प्रशिक्षण प्रलेख हैं।



iGOT ई-शिक्षण प्लेटफॉर्म के बारे में

- कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने कोविड-19 के प्रबंधन के लिए एक प्रशिक्षण मॉड्यूल की शुरुआत की है जिसे "एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण" नाम दिया गया है जो DIKSHA प्लेटफॉर्म पर है।

एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण iGOT पोर्टल के बारे में

- इसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी से लड़ रहे अग्रणी कार्यकर्ताओं की प्रशिक्षण जरूरतों को पूरा करता है।
- इसके लक्षित समूह हैं डॉक्टर, नर्स, केंद्रीय एवं राज्य के सरकारी अधिकारी, लोक रक्षा अधिकारी, विभिन्न पुलिस संगठन, नेशनल कैडेट कोर (NCC), नेहरू युवा केंद्र संगठन (NYKS), राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS), भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी (IRCS), भारत स्काउट्स एंड गाइड्स (BSG) और अन्य स्वयंसेवक।
- इसका जोर महामारी से अच्छी तरह से निपटने के लिए अग्रणी कार्यकर्ताओं के क्षमता निर्माण का उन्नयन करना है।

संबंधित सूचना

DIKSHA प्लेटफॉर्म के बारे में

- इसकी शुरुआत 2017 में की गई थी जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक पहल थी।
- यह शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए डिजिटल अवसंरचना ज्ञान साझाकारी प्लेटफॉर्म है।
- यह NCERT और राज्य पाठ्यक्रम से व्याख्या, अभ्यास और आकलन के लिए जुड़ा हुआ है।
- पोर्टल शैक्षिक संस्थानों में शिक्षकों की शुरुआत से लेकर सेवानिवृत्त तक पूरे कार्य और उपलब्धियों को रिकॉर्ड करेगा।
- यह शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल अवसंरचना के रूप में भी कार्य करेगा।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-II- शासन

स्रोत- AIR

मौसम परिवर्तन पर पेरिस समझौता 2015

खबर में क्यों है?

- संयुक्त राज्य अमेरिका औपचारिक रूप से 2015 के मौसम परिवर्तन पर पेरिस समझौते से बाहर आ गया है जो एक वैश्विक समझौता है जिसके द्वारा वैश्विक उष्णता के प्रलयकारी दुष्परिणामों से दुनिया को बचाने के लिए सामूहिक कार्यवाही की जानी है।



पृष्ठभूमि

- संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2017 में इस समझौते से बाहर होने के निर्णय की घोषणा की थी।
- इसने संयुक्त राज्य को पहला देश बना दिया जो समझौते से हटा है।

संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा कार्बन उत्सर्जन का योगदान

- संयुक्त राज्य अमेरिका का कुल कार्बन उत्सर्जन में 14% का योगदान है।
- यह वर्तमान में चीन (26%) के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है।
- यूरोपीय संघ के देश सामूहिक रूप से कुल उत्सर्जन का 9% करते हैं जिसके बाद 7% के साथ भारत का स्थान है।

नोट:

- हाल में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने घोषणा की कि 2060 तक चीन कार्बन निवल शून्य हो जाएगा, और उन्होंने जाहिर तौर पर उच्चतम उत्सर्जनों तक पहुँचने की समयसीमा को बढ़ा दिया है।
- जापान और दक्षिण कोरिया ने भी मौसम कार्यवाही महत्वकांक्षा के बारे में अपनी घोषणा करते हुए 'निवल शून्य लक्ष्यों' तक पहुँचने की बात कही है, जो यूरोपीय संघ की समान योजना के अनुसार ही है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र- III-पर्यावरण

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

टेली कानून

खबर में क्यों है?

- टेली कानून ने 30 अक्टूबर 2020 को एक नए मील के पत्थर को छू लिया जिसके अंतर्गत कुल 4 लाख लाभकर्ताओं ने कानूनी सलाह ली है, जिसके लिए CSCs (समान सेवा केंद्र) का सहारा लिया जाता है।

टेली कानून के बारे में

- इस पहल की शुरुआत 20 अप्रैल, 2017 को की गई थी जिसका उद्देश्य समान सेवा केंद्रों के द्वारा गांवों में कानूनी सलाह उपलब्ध कराना है। यह कार्य इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना तकनीक मंत्रालय (MeitY) के साथ सहयोग में कानून एवं न्याय मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।



टेली कानून का उद्देश्य

- इसके अंतर्गत कानून सहायता सेवाओं को पंचायत स्तर पर समान सेवा केंद्रों (CSC) के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा, जो कि पूरे देश में फैले हुए हैं।
- यह सरकार द्वारा संचालित एक कार्यक्रम है जहां लोग वीडियो कांफ्रेंसिंग के द्वारा वकीलों से कानूनी सलाह ले सकते हैं। यह व्यवस्था समान सेवा केंद्रों पर उपलब्ध है, जो 'टेली कानून' पोर्टल पर है।

अर्ध कानूनी स्वयंसेवक (PLV) की भूमिका

- प्रत्येक समान सेवा केंद्र (CSC) में एक अर्ध कानून स्वयंसेवक भी शामिल होगा, जो ग्रामीण नागरिकों के लिए संपर्क का पहला बिंदु होगा।
- ये PLVs आवेदकों को CSC में वीडियो कांफ्रेंसिंग सुविधा के द्वारा वकील से जोड़ेंगे। वे उन्हें कानूनी मामलों को समझने में मदद देंगे और वकीलों द्वारा दी गई सलाह की व्याख्या करेंगे।
- वकीलों के पैनल को प्रत्येक राज्य की राजधानी में राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण (NALSA) द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा जिससे वे वीडियो कांफ्रेंसिंग के द्वारा आवेदकों को सलाह देंगे।
- यह योजना कुल 115 जिलों में भारत सरकार के 100 दिनों के कार्यक्रम में विस्तारित की जाएगी।
- टेली कानून पर एक समर्पित वेबसाइट न्याय विभाग द्वारा व्यवस्थित की जा रही है जिसे CSC ई-प्रशासन से समर्थन के साथ डिजाइन किया गया है और इसे 22 भाषाओं में अनुवादित किया गया है।

न्याय बंधु मोबाइल अनुप्रयोग के बारे में

- यह एक नया मोबाइल अनुप्रयोग है जिसका उद्देश्य कानूनी सेवाओं की जरूरत वाले वादियों को सहायता करना है।

- न्याय बंधु मोबाइल एप मुफ्त कानूनी सेवाओं के प्रावधान को प्रोत्साहित करता है।
- एप का उद्देश्य जरूरतमंद वादियों को वकीलों से साथ जोड़ना है जो अपनी ऐसी सभी के हित वाली सेवाओं को देने के इच्छुक है। वे वकील जो मुफ्त कानूनी सेवाओं को देना चाहते हैं वे एप के साथ अपने को पंजीकृत करा सकते हैं।
- इस एप का उद्देश्य प्रयोगकर्ताओं को अपने मामले को पूर्व पंजीकृत कराने में मदद देना है।

कानूनी सहायता का संवैधानिक प्रावधान

- भारत के संविधान का अनुच्छेद 39ए समाज के गरीब और कमजोर तबके को मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराने और सभी को न्याय दिलाने की बात करता है।
- संविधान का अनुच्छेद 14 और 21(1) राज्य के लिए यह आवश्यक बनाता है कि वह कानून के सामने सभी की समानता सुनिश्चित करे और ऐसा कानूनी प्रणाली विकसित करे जो सभी को समान अवसर के आधार पर न्याय उपलब्ध कराए।

नोट:

- राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) का गठन कानूनी सेवा प्राधिकरण कानून, 1987 के तहत किया गया है। इसका कार्य कानूनी सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन करना है और कानून के अंतर्गत कानूनी सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए नीतियों और सिद्धांतों को बनाना है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-II- शासन

स्रोत- PIB

इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के वास्ते इलेक्ट्रॉनिक्स तकनीकों के लिए एक्सीलरेटर

खबर में क्यों है?

- हाल में केरल ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए स्टेट आफ द आर्ट इलेक्ट्रॉनिक्स तकनीकों के लिए एक्सीलरेटर (ACE) की शुरुआत की है।



इलेक्ट्रॉनिक्स तकनीकों के लिए एक्सीलरेटर के बारे में

- यह राज्य अपनी तरह की पहली पहल है।
- यह केरल स्टार्टअप मिशन (KSUM) और एडवांस्ड कम्प्यूटिंग विकास केंद्र (C-DAC) की संयुक्त पहल है।

उद्देश्य

- देश की इलेक्ट्रॉनिक्स तकनीकों में अपने आप को अग्रणी एक्सीलरेटर के रूप में विकसित करना।
- इस उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक्स और सहायक विषयों में उच्च तकनीकी स्टार्टअप्स के विकास को पोषण करना भी है।

संबंधित सूचना

C-DAC के बारे में

- यह एक स्वायत्त वैज्ञानिक सोसाइटी है जिसका गठन 1987 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना तकनीक मंत्रालय के प्रचालन नियंत्रण के अंतर्गत किया गया था।
- यह मूल रूप से सूचना तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक्स और सहायक क्षेत्रों में शोध और विकास (R&D) का कार्य करती है।
- C-DAC स्टार्टअप्स को एक विशेष काल के लिए परामर्श देगी। इसके लिए वह नई सुविधा के भौतिक और बौद्धिक अवसंरचना तक पहुँच उपलब्ध कराएगा।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- रोजगार

स्रोत- दि हिंदू

राष्ट्रीय मानसून मिशन

खबर में क्यों है?

- हाल में केंद्रीय विज्ञान और तकनीकी मंत्री ने “मानसून मिशन और उच्च प्रदर्शन कम्प्यूटिंग (HPC) सुविधाओं में निवेश के आर्थिक लाभों के आकलन” पर अनुप्रयोग आर्थिक शोध की राष्ट्रीय परिषद (NCAER) की रिपोर्ट जारी की।



रिपोर्ट के मुख्य पहलू

- भारत सरकार ने राष्ट्रीय मानसून मिशन (NMM) और उच्च प्रदर्शन कम्प्यूटिंग (HPC) सुविधाओं के गठन पर कुल रु. 1000 करोड़ का निवेश किया है।

रिपोर्ट का उद्देश्य

- NMM और HPC में किये गए निवेशों के आर्थिक लाभों के आकलन के लिए जोकि वर्षा वाले क्षेत्रों, पशुओं के स्वामियों और मछुआरों में किसानों की आय वृद्धि के द्वारा है। इसके लिए क्रमशः मौसम और महासागर की स्थिति की भविष्यवाणी को अपनाया जाएगा।
- रिपोर्ट ने लैंगिक दृष्टिकोण के साथ आर्थिक लाभों की जांच की।
- कुल 173 जिले (भारत के कुल 732 जिलों में से) जोकि 29 राज्यों में से 16 में स्थित हैं, पर अध्ययन के लिए विचार किया गया जो उपयुक्त रूप से कृषि-मौसमीय क्षेत्रों, वर्षा वाले क्षेत्रों, मुख्य फसलों का कवरेज और देश में चरम मौसम घटनाओं का प्रतिनिधित्व करें।
- 76% पशुधन के मालिक शेड/शेल्टर के संशोधन; मौसमीय रोगों के टीकाकरण के लिए; और चारा प्रबंधन पर निर्णय लेने के लिए मौसम सूचना का प्रयोग कर रहे हैं।

- 1.07 करोड़ गरीबी रेखा के नीचे (BPL) कृषीय परिवारों (किसानों और पशुधन स्वामियों को मिलाकर) को कुल वार्षिक आर्थिक लाभ रु. 13,331 करोड़ है और अगले पांच वर्षों में वृद्धिशील लाभ का आकलन किसान समुदाय के लिए लगभग रु. 48,056 करोड़ का है।
- 53 लाख गरीबी रेखा के नीचे मछुआरा परिवारों द्वारा हासिल की गई वार्षिक आय का आकलन रु. 663 करोड़ का है और मछुआरों को मिलने वाले लाभ का वर्तमान मूल्य रु. 2,391 करोड़ है जो पांच वर्षों के दरमियान है।

संबंधित सूचना

राष्ट्रीय मानसून मिशन (NMM) के बारे में

- इसे 2012 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य विभिन्न समय पैमानों पर मानसून की बारिश के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट गत्यात्मक भविष्यवाणी प्रणाली का विकास करना है।
- इस मिशन के क्रियान्वयन और समन्वय की जिम्मेदारी भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM), पूणे को दी गई है।

उद्देश्य

निम्न के लिए महासागर वायुमंडलीय मॉडल का निर्माण करना-

- मौसमी समय मापन (16 दिन से एक मौसम तक) से बड़े हुए परास पर मानसून वर्षा की सुधरी हुई भविष्यवाणी और
- लघु से मध्यम परास समय मापन (15 दिनों तक) पर तापमान, वर्षा और चरम मौसम घटनाओं की सुधरी हुई भविष्यवाणियां।

नोट:

- संयुक्त राज्य अमेरिका की मौसम भविष्यवाणी प्रणाली (CFS) को उपर्युक्त उद्देश्य के लिए मूलभूत मॉडलिंग प्रणाली माना गया है, क्योंकि यह वर्तमान में उपलब्ध मॉडलों में सर्वश्रेष्ठ है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- पर्यावरण

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

संयुक्त राष्ट्र ने नाभिकीय निशस्त्रीकरण पर भारत प्रायोजित प्रस्ताव को अपनाया

खबर में क्यों है?

- संयुक्त राष्ट्र आमसभा की पहली समिति ने दो प्रस्ताव अपनाए हैं जिन्हें भारत ने प्रायोजित किया था- 'नाभिकीय हथियारों के प्रयोग के निषेध पर सम्मेलन' और 'नाभिकीय हथियार क्लस्टर के अंतर्गत नाभिकीय खतरे को कम करना'।
- यह प्रस्ताव भारत के नाभिकीय निशस्त्रीकरण के लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता को परिलक्षित करते हैं।

पृष्ठभूमि

नाभिकीय हथियारों के प्रयोग के निषेध पर सम्मेलन

- 'नाभिकीय हथियारों के प्रयोग के निषेध पर सम्मेलन' जिसे भारत ने आमसभा में 1982 में रखा था, ने जिनेवा में निशस्त्रीकरण पर सम्मेलन के लिए निवेदन किया है।
- इस सम्मेलन का उद्देश्य एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में बातचीत की शुरुआत करना है जिसमें किसी भी परिस्थिति में नाभिकीय हथियारों के प्रयोग की धमकी के प्रयोग का निषेध करने की बात होनी चाहिए।



नाभिकीय खतरे को घटाने के बारे में

- “नाभिकीय खतरे को घटाने” पर प्रस्ताव जिसको 1998 से रखा जा रहा है, विश्व का ध्यान नाभिकीय हथियारों के अनजाने में अथवा आकस्मिक प्रयोग के खतरे की ओर खींचा है। यह नाभिकीय सिद्धांतों की समीक्षा की जरूरत को रेखांकित करता है।
- यह ठोस कदम उठाने की बात करता है जिससे ऐसे खतरों को कम किया जा सके, जिसमें नाभिकीय हथियारों गैर चौकसी और गैर लक्ष्य शामिल हैं।

संबंधित सूचना

संयुक्त राष्ट्र आमसभा प्रथम समिति के बारे में

- इसे निशस्त्रीकरण और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा समिति भी कहते हैं जो कि संयुक्त राष्ट्र आमसभा की छह मुख्य समितियों में से एक है।
- यह निशस्त्रीकरण और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मामलों से निपटेगी।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-II- सुरक्षा/अंतरराष्ट्रीय संगठन

स्रोत- इकोनॉमिक टाइम्स

प्रोजेक्ट लॉयन

खबर में क्यों है?

- भारतीय वन्यजीव संस्थान ने गुजरात वन विभाग के साथ मिलकर प्रोजेक्ट लॉयन के अंतर्गत कुनो-पालपुर वन्यजीव अभ्यारण्य के अतिरिक्त छह नए पुनर्वास स्थलों की पहचान की है।

भविष्य में संभावित शेर पुनर्वास के लिए छह नए स्थलों की पहचान में शामिल हैं:

- माधव राष्ट्रीय पार्क, मध्य प्रदेश
- सीतामाता वन्यजीव अभ्यारण्य, राजस्थान
- मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व, राजस्थान
- गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य, मध्य प्रदेश
- कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, राजस्थान
- जेस्सोर-बलराम अंबाजी डब्ल्यूएलएस और लगा हुआ परिदृश्य, गुजरात

PROJECT LION

Head	Year I	Year II	Year III
Translocation to Barda	54.21	24.21	9.21
Monitoring of Lion	2.24	1.66	0.58
MSTripes Patrolling	1.48	0.32	0.12
Disease Profiling	1.22	1.15	1.15
Other exenses	0.35	0.34	0.34

* Rs in crores

SALIENT FEATURES

- **Rs 99 crore** project approved **for lion conservation**


➤ **NTCA, Gujarat forest department** and **WII** to implement it

➤ **Barda** to be developed as **second home for lions** within Gujarat
- **40-odd lions** will be **radio collared**

➤ **Maldharis from Barda** to be **relocated** and will receive **compensation of Rs 15 lakh each**

➤ **Vaccination of feral dogs and cattle**
- **Samples from feral dogs and cattle** to be **regularly collected** to test for **CDV, rabies** and other diseases

➤ **Samples from other wild animals** will also be collected to monitor for diseases



शेर पुनर्वास के कारण

- शेर पुनर्वास की बात 1995 से चल रही है, जब कुनो वन्यजीव अभ्यारण्य को वैकल्पिक स्थल के रूप में पहचाना गया था।
- प्रजातियों के लिए पुनर्वास स्थल को खोजने के पीछे का कारण है क्योंकि गिर में जनसंख्या में निम्न अनुवांशिक विविधता पाई जाती है, जिससे इसके महामारियों से लुप्त होने का खतरा हो सकता है।
- इस प्रस्ताव का उद्देश्य गुजरात के अंदर और अन्य प्रदेशों में मुक्त शेर जनसंख्या का निर्माण करना है जिससे इस समस्या का सामना किया जा सके।
- पिछले वर्ष, गिर वन से 20 से ज्यादा शेर वायरल संक्रमण जिसे कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस (CDV) कहते हैं, से मर गये थे।

प्रोजेक्ट लॉयन के बारे में

- इस कार्यक्रम को एशियाटिक शेरों के संरक्षण के लिए शुरू किया गया है, जिसकी अंतिम बची हुई वन्य जनसंख्या गुजरात के एशियाटिक लॉयन परिदृश्य में है।
- इसका उद्देश्य आवास विकास पर ध्यान देना, शेर प्रबंधन में तकनीकों को लगाना, शेरों में रोगों के मामलों को निपटाना, और यह मानव वन्यजीवन संघर्ष को भी सुलझायेगा।

एशियाई शेर के बारे में

- वे गुजरात के सौराष्ट्र जिले में गिर राष्ट्रीय पार्क और उसके आसपास के वातावरण में ही स्थित हैं।

संरक्षण दर्जा

- उन्हें IUCN के अंतर्गत संकटग्रस्त की श्रेणी में अधिसूचित किया गया है।
- वन्यजीवन (संरक्षण) कानून, 1972; अनुसूची-I
- शहरों में वे अनुबंध । में अधिसूचित हैं।

नोट:

- पिछले वर्ष एक समर्पित “एशियाटिक शेर संरक्षण परियोजना” को केंद्रीय पर्यावरण, वन और मौसम परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने शुरू किया था।
- MoEFCC ने 2018 से लेकर 2021 तक तीन वित्तीय वर्षों के लिए परियोजना को स्वीकृति दी है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र- III-पर्यावरण

स्रोत- डाउन टू अर्थ

मध्यस्थता एवं सुलह (संशोधन) अध्यादेश, 2020

खबर में क्यों है?

- राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मध्यस्थता एवं सुलह कानून 1996 को और संशोधित करने के लिए मध्यस्थता एवं सुलह (संशोधन) अध्यादेश, 2020 को जारी किया है।

संशोधन के मुख्य बिंदु

- अध्यादेश का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी हितधारकों को पंच निर्णय को लागू करवाने के लिए बिना शर्त स्थगनादेश को चाहने का अवसर मिले जहां अंतर्निहित मध्यस्थता समझौता अथवा संविदा अथवा पंच निर्णय को देना बेईमानी अथवा भ्रष्टाचार से प्रेरित है।



- यह अध्यादेश मध्यस्थता और सुलह कानून, 1996 को संशोधित करता है और कानून की 8वीं अनुसूची को समाप्त करता है जो मध्यस्थता की मान्यता के लिए जरूरी अर्हता बताती है।
- अनुच्छेद 36 में कुछ जोड़ा गया है जिसके अनुसार यदि न्यायालय संतुष्ट है कि प्रथम दृष्टया मामला बन रहा है कि मध्यस्थता समझौता अथवा संविदा जोकि निर्णय का आधार है, बेईमानी अथवा भ्रष्टाचार से प्रेरित अथवा प्रभावित थी, तो वह बिना शर्त के निर्णय पर स्थगनादेश दे देगी जिसे अनुच्छेद 34 के अंतर्गत निर्णय को दी गई चुनौती के निस्तारण को लटका देगी।
- मध्यस्थता और सुलह कानून, 1996 के अनुच्छेद 36, उप-अनुच्छेद (3) में, नियम के बाद, एक धारा डाल दी गई है जो कहती है कि और देने के बाद कि जब न्यायालय संतुष्ट है कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है; (a) कि मध्यस्थता समझौता अथवा संविदा जोकि निर्णय का आधार है; अथवा (b) निर्णय को देना बेईमानी अथवा भ्रष्टाचार से प्रेरित अथवा प्रभावित था, वह निर्णय पर स्थगनादेश बिना शर्त के दे देगा जो निर्णय के अनुच्छेद 34 के अंतर्गत चुनौती के निस्तारण को लटका देगा।
- अध्यादेश कहता है कि प्रावधान पूर्वप्रभाव से अक्टूबर 23, 2015 से प्रभाव में आएगा।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र- III- अर्थशास्त्र

स्रोत- PIB

विलामाया पैटज्क्सा महिला शिकारी

खबर में क्यों है?

- कैलीफोर्निया विश्वविद्यालय के शोधार्थियों के अनुसार विलामाया पैटज्क्सा महिला शिकारी को सबसे पूर्व शिकारी कब्र के रूप में पहचाना गया है जिसे अमेरिका में पाया गया है जो लगभग 9000 वर्ष पूर्व की है।

खोज के बारे में

- लगभग 9000 वर्ष पूर्व, शिकारी संग्रहाकों ने एक किशोर को दक्षिण अमेरिका के एंडीज पहाड़ों में शिकार के उपकरणों के साथ दफन किया था।
- जब शोधार्थियों ने अवशेषों का विश्लेषण किया तो, जिसे 2018 में खोदा गया था, उन्होंने पाया कि यह शिकार महिला थी, जिसकी आयु 17 और 19 के मध्य थी उसकी मृत्यु के वक्त पर।
- इन जनसंख्याओं में 30% से 50% के बीच शिकारी महिलाएं थीं, शोधार्थियों ने यह निष्कर्ष अमेरिका के कब्रों के रिकॉर्डों के विश्लेषण से निकाला। ऊंचे स्थान पर उत्खनन के दौरान 2018 में पेरू के विलामाया पैटज्क्सा स्थल में पुरातत्ववेत्ताओं ने छह लोगों के साथ पांच कब्र के गड्ढों की खोज की।



महिलाओं की भागीदारी

- यह खोज दर्शाती है कि इस स्तर की भागीदारी हाल के शिकारी-संग्रहाकों के बिल्कुल विपरीत है, जहां शिकार पूरी तरह से पुरुष प्रधान गतिविधि है जिसमें महिलाओं की भागीदारी काफी निम्न स्तर पर है।
- इससे शोधार्थियों को यह समझने में मदद मिलेगी कि अमेरिका की शिकारी संग्रहाक जनसंख्याओं के बीच में विभिन्न समय और स्थानों के साथ कैसे लैंगिक श्रम विभाजन में परिवर्तन आया है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-1 इतिहास (प्राचीन समाज)

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस